

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बिहारी पिता रतनलाल गुर्जर निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर वगैरा
बनाम

खान अली पिता नजर अली बोहरा मृतक के बजाए:- इकबाल पिता खान अली
बोहरा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर वगैरा

प्रकरण संख्या 36/2020 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 23 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने आज भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 23 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये। अधिवक्ता अपीलांट को कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 23 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये हैं। अधिवक्ता अपीलांट ने दिनांक 24.11.2022 के पश्चात् से आदिनांक तक लगभग 01 वर्ष 07 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 23 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	